

कार्यालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, पलामू (आपूर्ति शाखा)

निविदा आमंत्रण सूचना

खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड रांची के संकल्प संख्या 1553 दिनांक 04.08.2009 के आलोक में डोर स्टेप डिलिवरी के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्व विक्रता प्राप्त गृहस्थ योजना एवं अन्त्योदय योजना के तहत खाद्यान्न (गेहूँ, चावल, चीनी एवं नमक) एवं अन्य विभाग के द्वारा निदेशित खाद्य सामग्री को प्रखंड स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम से उठाव कर जन वितरण प्रणाली के दुकानों तक पहुँचाने का कार्य किया जाना है। कई स्थानों पर ऐसे मार्ग हैं, जिनपर ट्रक का आवागमन संभव नहीं है। इस हेतु मिनी ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रेलर, टाटा-407, टाटा-207, टेम्पो-ट्रेलर, पिकअप वैन या सक्षम वाहनों से परिवहन-सह-हथालन हेतु डोर स्टेप डिलिवरी की निविदा शहरी क्षेत्र एवं सभी प्रखंडों के लिए अलग-अलग आमंत्रित की जाती है। निविदादाता पलामू जिलान्तर्गत शहरी क्षेत्र एवं 20^० प्रखंड के लिए अलग-अलग एक से अधिक निविदा भर सकते हैं।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक-491/रांची दिनांक 11.02.16 के कंडिका - 08 में निदेशित है कि झारखंड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से जन वितरण प्रणाली दुकान तक खाद्यान्नों के डोर स्टेप डिलिवरी हेतु निर्धारित राशि 30.00 रु0 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 42.50 रु0 प्रति क्विंटल किया गया है। इसमें से 2.50 रु0 प्रति क्विंटल डोर स्टेप डिलिवरी के वाहनों में जी0पी0एस0 ट्रैकिंग हेतु कर्णकित है, जिसका क्रियान्वयन विभागीय स्तर से की जायेगी, जबकि शेष 40.00 रु0 डोर स्टेप डिलिवरी के लिए होगी।

अतः डोर स्टेप डिलिवरी हेतु निविदा की अधिकतम राशि 40.00 (चालीस) रु0 प्रति क्विंटल निर्धारित करते हुए निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा हेतु निम्नलिखित अहर्ता होना आवश्यक है :-


1. निविदादाता एक लिफाफे पर साफ-साफ शब्दों में "तकनीकी बीड" लिखकर उसमें निविदा के साथ मांगे गये सारे कागजात और प्रमाण-पत्र (अग्रधन राशि का ड्राफ्ट/एन0एस0सी0 सहित) एवं बैंक गारंटी एवं उसे मुहरबन्द करेंगे तथा उस पर अपना नाम एवं पता साफ-साफ लिखेंगे।
2. दूसरे लिफाफे पर साफ-साफ शब्दों में "वित्तीय बीड" अंकित करेंगे। उस लिफाफे में केवल दर अंकित करेंगे और उसे लिफाफा में डालकर उसे मुहरबन्द करेंगे। उस लिफाफा में दर के अलावे कोई अन्य कागजात नहीं डाला जायेगा। उस लिफाफे पर भी अपना नाम एवं पता साफ-साफ अंकित करेंगे।
3. "तकनीकी बीड" एवं "वित्तीय बीड" दोनों मुहरबन्द लिफाफे को एक साथ एक तीसरे लिफाफे में डालकर उस लिफाफे को मुहरबन्द करेंगे साथ ही लिफाफे के उपर शहरी क्षेत्र/प्रखंड का नाम अंकित करेंगे। उस लिफाफा पर अपना नाम, पता एवं दूरभाष संख्या अंकित करेंगे तथा उपायुक्त, पलामू के पदनाम से निविदा डालेंगे।
4. अग्रधन की राशि 50,000.00 (पच्चास हजार) रु0 का बैंक ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उपायुक्त, पलामू के नाम से भुगतये होगा।
5. कम-से-कम 5,00,000.00 (पाँच लाख) रुपये का व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रमाण-पत्र अंचल अधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्वद द्वारा निर्गत किया हुआ होना आवश्यक है।
6. 2,50,00.00 (दो लाख पच्चास हजार) रुपये का बैंक गारंटी प्रमाण-पत्र उपायुक्त, पलामू के नाम से होना आवश्यक है। बैंक गारंटी निविदा तिथि से न्यूनतम एक वर्ष का होना आवश्यक है।

7. निविदादाता का आवासीय प्रमाण-पत्र अनुमंडल स्तर से बना हुआ होना आवश्यक है।
8. निविदादाता का चरित्र प्रमाण -पत्र उपायुक्त स्तर से बना हुआ होना आवश्यक है। चरित्र प्रमाण-पत्र निविदा प्रकाशन की तिथि से 06 (छः) माह के अन्दर का होना आवश्यक है।
9. निविदादाता की दो अभिप्रमाणित फोटो एवं हस्ताक्षर का नमूना निविदा भरने के समय संलग्न होना आवश्यक है।
10. वाहन का निबंधन तथा बीमा एवं टैक्स का अद्यतन भुगतान होना आवश्यक है।
11. निविदादाता का आयकर रिटर्न की विगत तीन वर्षों की प्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है।
12. निविदादाता का अनुभव प्रमाण-पत्र (यदि हो तो) संलग्न की जाय।
13. निविदा पत्र पर निविदादाता का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। निविदा-पत्र पर निविदादाता का हस्ताक्षर नहीं होने पर उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. निविदादाता के नाम से कम से कम दो (02) गाड़ी निबंधित होना आवश्यक है। उसके अतिरिक्त कम से कम तीन वाहनो का लीज संबंधी एकरारनामा जिसमें यह उल्लिखित हो कि संबंधित गाड़ियों का उपयोग खाद्यान्न के परिवहन हेतु ही किया जायगा, होने संबंधी प्राधिकार पत्र/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
15. निविदादाता का चयन होने के उपरान्त डोर स्टेप डिलिवरी में लगाये जाने वाले सभी वाहनों में जी0पी0एस0 ट्रैकिंग लगाना अनिवार्य है।
16. अलग-अलग शहरी क्षेत्र/प्रखंड के लिए निविदा भरे जाने पर अग्रधन की राशि (बैंक ड्राफ्ट), बैंक गारंटी एवं वाहन अलग-अलग देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रखंड के लिए दो अलग-अलग निविदादाता के नाम से निबंधित वाहन एवं तीन वाहनों का लीज संबंधी एकरारनामा होना अनिवार्य होगा।

निविदा शहरी क्षेत्र/प्रखंडों के लिए अलग-अलग आमंत्रित की जाती है तथा अन्य विस्तृत शर्त एवं निविदा पत्र जिला आपूर्ति कार्यालय, पलामू से 1000.00 (एक हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। ड्राफ्ट उपायुक्त, पलामू के नाम से भुगतये होना चाहिए। इस राशि को वापस नहीं किया जायेगा। निविदादाता को बगैर कारण बताये निविदा को रद्द करने/स्थगित करने/समय में परिवर्तन करने/दर वार्ता करने/एक से अधिक निविदादाताओं के बीच कार्य वितरण करने का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा दो सील लिफाफों "तकनीकी बीड" एवं "वित्तीय बीड" में अलग-अलग कर दोनों लिफाफे को अन्य एक बड़े लिफाफे में अपना पूरा पता अंकित करते हुए दिनांक 04.04.2016 को अपराहन 02.00 बजे तक जिला आपूर्ति शाखा, पलामू के कार्यालय में रखे बन्द डब्बे/बक्सा में दिया जा सकता है। उपायुक्त, पलामू की अध्यक्षता में निविदा समिति के समक्ष उसी दिन 04.00 बजे अपराहन में उपायुक्त, पलामू के कार्यालय वेश्म में खोला जायेगा। उस दौरान निविदादाता उपस्थित रह सकते हैं। यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होती है, तो अगले दिन निविदा खोलने की तिथि निर्धारित होगी।

निविदा की शर्तें कार्यालय के सूचना पट्ट एवं झारखंड सरकार के वेबसाइट www.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है।


उपायुक्त,
पलामू।